राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 01285/2023

महेश राठौड़ **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये प्रमुख शासन सचिव, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्राथमिक, श्रीगंगानगर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्राथमिक, सवाईमाधोपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.02.2023
आदेश की दिनांक : 21.04.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रवेन्द्र कुन्तल, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से :

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–3 लेवल प्रथम के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.10.2020 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को प्रारंभिक नियुक्ति दी गई। अपीलार्थी ने दिनांक 22.10.2020 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी स्वयं एवं अपीलार्थी की पत्नी दोनों ही विकलांग है। अपीलार्थी जिला सवाईमाधोपुर का निवासी है तथा वर्तमान में अपीलार्थी जिला श्रीगंगानगर में कार्यरत है जो 800 कि.मी. दूर है जिससे अपीलार्थी एवं अपीलार्थी की पत्नी दोनों को आवागमन में परेशानी होती है तथा अपीलार्थी के माता–पिता भी वृद्धावस्था में है जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर ही है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन दिनांक 25.07.2022 को प्रस्तुत किया गया लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसका कोई निस्तारण नहीं किया गया ।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 25.07.2022 का प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निस्तारण किए जाने का निर्देश देते हुए अपीलार्थी को ग्रह जिले में नियुक्त किया जाने के आदेश दिए जाए।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–3 लेवल प्रथम के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर कार्यरत है। (अनुलग्नक–3) एवं (अनुलग्नक–4) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी एवं उसकी पत्नी दोनों ही शारिरीक रूप से विकलांग है परंतु प्रत्यर्थी विभाग उनका पदस्थापन उनके निवास स्थान से 800 कि.मी. दूर किया गया जिसके क्रम में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन 25.07.2022 को प्रस्तुत किया परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसका कोई निस्तारण नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य